न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

A2/01

01/23

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः- 01/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		1. परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		2. जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. रेशम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		3. हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		4. जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. ठाना सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		5. नसीब कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. नसीब कौर पत्नी ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		6. सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. जसकरण सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		7. दर्शन सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. जसपाल सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		8. रामचन्द पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
		9. सिरमजीत कौर पत्नी बग्गा सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
		10. मनविन्द्र कौर पत्नी कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
		11. हरजिन्द्र कौर पत्नी बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
		12. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः-

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- दिनांकः 17.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 115, 120, 139 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

से संयुक्त रूप से कृषि भूमि दर्ज है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त खाता में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादीगण की स्वयंअर्जित भूमि है, जिस पर वादीगण काफी वर्षो से खरीद की दिनांक से निरंतर, निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में जान पहचान व एक ही गांव के सदस्यगण है। उक्त कृषि भूमि गत कई वर्षो से संयुक्त खाता में चली आ रही है, जिस पर वादीगण अपने-अपने हिस्सा के अनुसार काफी समय से काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त सम्पति संयुक्त खाता में होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा-ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, केन्द्र/राज्य सरकार से कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता इत्यादि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। चूंकि वर्तमान में वादीगण का परिवार काफी बढ़ चुका है। भविष्य में वादीगण के बच्चो को उक्त कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार से वाद विवाद न हो और वह शांतिपूर्वक भूमि का उपयोग कर सकें। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को अलग से किलावाईज विभाजन करवाना चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा है कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण संयुक्त खाता में भूमि होने व अन्य पारिवारिक असमर्थता का हवाला देकर टाल-मटोल कर रहे है। आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण ऐसा करने से इंकार हो गये है। उसी रोज वादीगण को वादहेतुक उत्पन्न हुआ। यही वाद कारण है। सभी पक्षकार एक साथ एकत्रित नहीं हो रहे है और वादीगण को अपनी कृषि भूमि के संबंध में पूर्व मद में अंकितानुसार विभिन्न परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष विधिवत् विभाजन व घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प वादीगण के पास शेष नहीं रहा है। इस कारण वादीगण उक्त आशय का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 139, 115, 120 में वादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त कब्जा काश्त अनुसार व चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 139, 115, 120 में वादी संख्या 5 से 8 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी संख्या 5 से 8 के संयुक्त कब्जा काश्त अनुसार संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जावे एवं अलग से खाता व लगान कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे व प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सुखदेव सिंह आदि बनाम परविन्द्र कौर आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए,
प्रकरण संख्या /2023

-:आदेश:-

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 115, 120, 139 की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा में आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

<u>अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुखदेव सिंह आदि बनाम परविन्द्र सिंह आदि
धारा अन्तर्गत **53, 88, 91** आरटीए मुकदमा नं. **01/2023**
निर्णय दिनांक :- 20.07.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह , इन्द्राज सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 115, 120, 139 की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
	सुखदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (2.025 हैक्टेयर) गुरदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (3.176 हैक्टेयर) रेशम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर(1.278 हैक्टेयर) सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (1.151 हैक्टेयर)	11 एस	12 31 13	1 ता 5 11 ता 22 23 ता 25 1 2/1 2/2 3 ता 8 13 14 15 23/1	1.265 हैक्टेयर 3.036 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 1.518 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.165 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	8.75 21.0 5.25 0.87 0.88 0.87 10.50 0.88 0.88 1.75 1.41
2	ठाना सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (2.024 हैक्टेयर) नसीब कौर पत्नी ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (1.265 हैक्टेयर) जसकरण सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर,(0.253 हैक्टेयर) जसपाल सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (0.379 हैक्टेयर)	11 एस	31	1 9 ता 12 13 14 16 ता 25	0.127 हैक्टेयर 1.012 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 2.530 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.88 7.00 0.87 0.87 17.50

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.07.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	700	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	704	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/५२५
दिनांकः ०१/०८/.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✶ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर